

अदालत
हकम की
में जारी

हकम या कार्यवाही पर इतिहास

अदालत जो इस
हकम की तामील
में जारी हुए


हयाप्राप्त उपखंड अधिकारी के
स्वामीजी देवी कानन राजेश कुमार
दिनांक- 17/2013

20-5-17 - पंचवली पेश हुई। उभयपक्ष
अनु। अकादेशिका दि० 10-11-16 की
पालना में पंचवली वाले नयी जवाब
हुने दि० 11-5-17 को पेश हुए

10-6-17 - पंचवली काज राजेश
लेख अदालत केम्य मुकाम कारण
में पेश हुई। प्रार्थना की कोर्ट से
उन्हे अधिवक्ता उप। विपरीत गण
दोसरे केम्य अनु। प्रार्थी को सुना
गया। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त अकारिपत्र
पर रेकार्ड एवं कोर्ट की अध्यात्मिनी
बनाये रखने बावजूद अध्यायी निषेधाज्ञा
से मूल अपीलपत्र के निष्ठाण तक
पहंदा किये जाते की इतिहास की।
अनु। का मेरिट पर परिसर किया
गया। चुकी मूल अपील पत्र के निष्ठाण
में समय लगना स्वाभाविक है एवं
सुबिया सतुंलन की दृष्टी से की
अनु। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया
अनु। है

अनु। अकादेशिका दि० 30-5-13 से
अधी अनु। अध्यायी निषेधाज्ञा
को मूल अपीलपत्र के निष्ठाण तक
confirm किये जाते के आदेश
परि किये जाते हैं

पत्रावली गमना से वय की जाकर
 फेशल शुभा ही तथा मूल कमील
 पत्र के साथ गली रहे।



[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]